रजि० सं० डी० (डी०)-73 REGISTERED NO.D.(D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 17, 1980/वैशाख 27, 1902
No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 17, 1980/VAISAKHA 27, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 मई, 1980

सा० का० नि० 544.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) की धारा 22 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 1969 में, —

"(1) नियम 3 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1) बल में निम्नलिखित चार शाखाएं होंगी, अर्थात् :

(1) कार्यपालक शाखा ;

(2) अग्नि-सेवा शाखा ;

(3) अनुसचिवीय शाखा; और

(4) कार्यपालक (महिला) शाखा ; "

(2) नियम 15 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"(16) काडर.—नियम 3 में वर्णित चार शाखाओं में से प्रत्येक शाखा का ज्येष्ठता, प्रोन्नति और पुष्टि के प्रयोजन के लिये अलग काडर होगा ।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची 1 में,—

(i) अनुचर पद के सामने, स्तंभ 11 की विद्यमान मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(ii) पुनर्नियोजन :—सेना, नौ सेना, वायु सैना, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल या भारत तिब्बत सीमा पुलिस के ऐसे निवृत्त/निर्मुक्त कार्मिक, जो केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में अनुचर के पद के समतुल्य पद धारण कर चुके हों और जो निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हो :

(क) आयु : 40 वर्ष से कम;

(ख) स्वास्थ्य मानक : भूतपूर्व सैनिकों के लिये स्वास्थ्य प्रवर्ग "क" अन्य व्यक्तियों के लिये भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिये विहित मानक के समतुल्य;

(ग) चरित्र : बहुत अच्छा या आदर्श स्वरूप;

(घ) सेवा में व्यवधान : तीन वर्ष से अधिक नहीं ।"

(2) सुरक्षा गारद के पद के सामने,—

(i) स्तम्भ 6 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"18 वर्ष से अन्यून और 25 वर्ष से अनधिक (विभागीय अभ्यर्थियों की दशा में 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी) ";

(ii) स्तम्भ 7 में विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण 3 : महिलाओं के लिये शारीरिक मानक वही होंगे जो पुरुषों के लिये हैं, सिवाए इसके कि

Attested

8	9	10	11	12	13
			in their respective grades. Transfer or Transfer on deputation : From amongst persons holding analogous posts in the Headquarters establishment of the Department of Tourism or the Indian Audit Accounts Department or Departmentalised Accounts scheme or Upper Division Clerks with 5 years' regular service in the grade in these Departments. (the period of deputation ordinarily not exceeding three years).	(looking after Administration) in the Regional Tourist Office—Member. (d) Director, Government of India Tourist Office, Calcutta, Madras as the case may be. (NOTE :—One of the members of the Departmental Promotion Committee will preferably be a member of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe Community).	

[No. A-12018(1)/78-Admn.I (Tourism)]
BANU RAM AGGARWAL, Dy. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1980

सा० का० नि० 562 संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति केन्द्रीय सूचना सेवा नियमावली, 1959 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय सूचना सेवा (संशोधन) नियमावली, 1980 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम 15 जून, 1978 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. केन्द्रीय सूचना सेवा नियमावली, 1959 की अनुसूची 7 में, "पदनाम" के कालम के अन्तर्गत "प्रधान सूचना अधिकारी" शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जायेंगे, अर्थात् :—

"तथापि, इस पद को 15 जून, 1978 से अधिक से अधिक चार वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सूचना सेवा से अस्थायी रूप से अलग कर दिया जाएगा"

व्याख्यात्मक ज्ञापन यह संशोधन प्रधान सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली के पद को 15 जून, 1978 से अधिक से अधिक चार वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सूचना सेवा से अलग करने के सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप है। नियम के भूत प्रभावी होने के कारण केन्द्रीय सूचना सेवा के किसी भी अधिकारी का हित प्रभावित नहीं होगा।

[फाइल संख्या ए०-42012/4/78 सी० आई० एस० संशोधन संख्या 76]
मोहन लाल टंडन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 11th April, 1980

G.S.R. 562.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Information Service Rules, 1959, namely :—

1. (1) These rules maye be called the Central Information Service (Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 15th day of June, 1978.

2. In Schedule VII to the Central Information Service Rules, 1959, after the words : "Principal Information Officer" under the column "Designation of post", the following words shall be added, namely :

"This post shall, however, be temporarily excluded from the Central Information Service for a period not exceeding four years with effect from 15th June, 1978."

Explanatory Memorandum : This amendment is consequential to the decision of the Government to exclude the post of Principal Information Officer, Press Information Bureau, New Delhi from Central Information Service Rules, 1959 for a period not exceeding four years with effect from 15th June, 1978. This does not affect the interest of any of the Central Information Service officers by reasons of the retrospective operation of the rule.

[F. No. A-42012|4|78-CIS—Amendment No. 76]
M. L. TANDON, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 मई, 1980

सा० का० नि० 563 केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 1 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीस या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाली क्वार्टजाइट खानों को ऐसे वर्ग के स्थापनों के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं जिन्हें उक्त अधिनियम 31 मई, 1980 से लागू होगा।

[एस० 35016 (6)/77 पी० एफ० 2]

MNISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 5th May, 1980

G.S.R. 563.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 1 of the Employees'

Attested.

21/11/12

Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby specifies quartzite mines, employing twenty or more persons as the class of establishments to which the said Act shall apply with effect from the 31st May, 1980.

[S. 35016(6)77-PF.II]

सा० का० नि० 564.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन हीरा कटाई के उद्योग, अर्थात् हीरा कटाई में लगे हुए किसी उद्योग के कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि स्कीम बनाई जानी चाहिये;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त उद्योग को 31 मई, 1980 से उक्त अधिनियम की अनुसूची में जोड़ती है।

[सं० एस० 35016(4)/79 पी० एफ० 2 (i)]

G.S.R. 564.—Whereas the Central Government is of opinion that a provident fund scheme should be framed under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) in respect of the employees of the Diamond Cutting Industry, that is to say, any industry engaged in the cutting of Diamond ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby adds with effect from the 31st May, 1980 the said industry to Schedule I to the said Act.

[No. S-35016(4)/79-PFII(i)]

सा० का० नि० 565.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 1 की उपधारा (3) के खण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीस या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले, सभी अन्तर्देशीय जल-परिवहन स्थापनों को ऐसे वर्ग के स्थापनों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिन्हें उक्त अधिनियम के उपबंध तारीख 31 मई, 1980 से लागू होंगे ।

[सं० एस० 35016 (2) 76 पी० एफ०-ii]
हंसराज छाबड़ा, उप सचिव

G.S.R. 565.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (3) of section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby specifies all inland water transport establishments and employing twenty or more persons as a class of establishment to which the provisions of the said Act shall apply with effect from the 31st May, 1980.

[No. S-35016(2)/76-PF-II]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 6 मई, 1980

सा०का०नि० 566.—केन्द्रीय अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम 1979 (1979 का 30) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कतिपय नियमों का, जो केन्द्रीय सरकार बनाना चाहती है, जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (1) में अपेक्षित है, निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा।

उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन-विनियमन और सेवा शर्त) नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन-विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 1979 अभिप्रेत है ;

(ख) "अपील अधिकारी" से भारत सरकार द्वारा धारा 11 के अधीन नामनिर्दिष्ट अपील अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ग) "उपमुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)" से केन्द्रीय सरकार द्वारा उस रूप में नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) "प्ररूप" से इन अधिनियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ङ) "निरीक्षक" से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 20 के अधीन नियुक्त कोई निरीक्षक अभिप्रेत है ;

(च) "अनुज्ञापन अधिकारी" से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 7 के अधीन नियुक्त अनुज्ञापन अधिकारी अभिप्रेत है ;

(छ) "प्रवासी कर्मकार" से धारा 2 में परिभाषित अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार अभिप्रेत है ;

(ज) "रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी" से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 3 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अभिप्रेत है ;

(झ) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;

(ञ) "विहित प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 12 और धारा 16 के प्रयोजनों के लिए विहित किया जाए; और

(ट) उन सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।

अध्याय 2

3. स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की रीति.— (1) किसी स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप 1 में तीन प्रतियों में उस क्षेत्र के रजिस्ट्रीकृतर्ता अधिकारी को किया जाएगा जिसमें रजिस्ट्रीकृत किया जाने वाला स्थापन स्थित है।

(2) आवेदन के साथ क्रास किया गया मांग ड्राफ्ट होगा जिसमें स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस का संदाय दर्शित किया जाएगा।

(3) आवेदन या तो व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को दिया जाएगा या उसे रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जाएगा।

(4) आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आवेदन की प्राप्ति की तारीख उस पर नोट करने के पश्चात् आवेदक को रसीद देगा।

Attested